दिनांक **08.02.2023** को प्रातः **11.30** बजे सभागार कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की **110**वीं बैठक कार्यवृत्त।

निम्न सदस्यो ने ऑनलाईन/ ऑफलाईन बैठक में भाग लिया :-

1.	**डॉ० अरूण कुमार** कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	**अध्यक्ष**
2.	**डॉ० पी०के० दशौरा,** पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
3.	**श्री बाबू लाल जुनेजा,** अध्यक्ष, गुरू गोविन्द सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
4.	**डॉ० जी०एन० परिहार,** पूर्व आचार्य, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात वैज्ञानिक	सदस्य
5.	**डॉ० सीमा जग्गी,** सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
6.	**डॉ० नीरज के० पवन,** संभागीय आयुक्त बीकानेर एवं प्रतिनिधि शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार	सदस्य
7.	**श्री एस०एस० शेखावत,** अतिरिक्त निदेशक (कृषि), बीकानेर एवं प्रतिनिधि निदेशक (कृषि), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	**डॉ० दाता राम कुम्हार,** निदेशक, भू-सदृश्यता एवं राजस्व सृजन निदेशालय, बीकानेर।	सदस्य
9.	**डॉ० वीर सिंह,** निदेशक, छात्र कल्याण निदेशालय, बीकानेर।	सदस्य
10.	**डॉ० नीना सरीन,** आचार्य (प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
11.	**डॉ० योगेश शर्मा,** आचार्य (कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान), कृषि महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
12.	**डॉ० राजेन्द्र सिंह राठौड़,** सह-आचार्य (उद्यानिकी), खजूर अनुसंधान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।	सदस्य

13. **डॉ० ममता सिंह,** सदस्य
सहायक आचार्य (खाद्या एवं पोषण), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर

14. **सुनीता चौधरी,** आर०ए०एस०
कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर **सदस्य सचिव**

श्री जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक (सादुलशहर) एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, श्री रूपेन्द्र सिंह कून्नर, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्रगतिशील किसान, श्रीमान् शासन सचिव (कृषि उत्पादन), श्रीमान् शासन सचिव (शिक्षा) एवं श्रीमान् शासन सचिव (पशुपालन) के द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया गया।

प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपति ने प्रारंभिक उद्बोधन में प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। सर्वप्रथम डॉ० विमला डुंकवाल, अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालय में चल रही अनुसंधान की गतिविधियों पर माननीय प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुतिकरण दिया गया।

बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1449	**107वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.01.2022, 108वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.05.2022 तथा 109वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 107वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.01.2022, 108वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.05.2022 तथा 109वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1450	**107वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.01.2022 108वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.05.2022 तथा 109वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2022 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 107वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.01.2022, 108वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.05.2022 तथा 109वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.10.2022 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन निम्न के साथ किया गया :- 1. **स्वाकेराकृवि/बोम-107/ 2022-1/1435** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा आचार्य एवं सह-आचार्य पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 01/2022 दिनांक 24.01.2022 के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 01/2022 दिनांक 24.01.2022 पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि विज्ञापन निरस्त करते हुए आगामी बैठक में रोस्टर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए एवं राज्य सरकार से रोस्टर अनुमोदन के पश्चात् विज्ञापन जारी किया जावें। {कार्यवाही : कुलसचिव/संयोजक रोस्टर समिति}

	2. **स्वाकेराकृवि/बोम-107/ 2022-1/1437(4)** डॉ० जी.एन.परिहार माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल ने सदन को अवगत कराया कि दिनांक 28.01.2022 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 107वीं बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-107/ 2022-1/1437(4) के द्वारा प्रबन्ध मण्डल एवं चयनित समिति बाह्य सदस्यों को वर्तमान में बैठक में भाग लेने के एवज् में दी जा रही मानदेय 2000 रूपये को बढ़ाये जाने के प्रकरण में माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति में भाग लेने वाले महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राज्यसरकार, विधानसभा अध्यक्ष एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मनोनीत माननीय सदस्यों को 4000/- रूपये मानदेय का अनुमोदन किया जाता था, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा आज दिनांक तक आदेश जारी कर इसे लागू नही किया गया है। जिस पर श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर एवं प्रतिनिधि शासन सचिव (वित्त) एवं विश्वविद्यालय के कुलपति का मत था कि उक्त निर्णय की पालना विश्वविद्यालय स्तर पर की जावें। अतः दिनांक 28.01.2022 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 107वीं बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-107/2022-1/1437(4) में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी कर इसे लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। {कार्यवाही : वित्त नियंत्रक}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1451	**विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना/विज्ञापन की पुष्टि करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना/ विज्ञापन की पुष्टि की गई।
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1452	**वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त प्रस्ताव श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व० श्री मोतीराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन प्रकरण एवं समस्त अन्य समकक्ष प्रकरण में पेंशन योग्य सेवा तिथि निर्धारण करने के संबंध में।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व० श्री मोतीराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन प्रकरण एवं समस्त अन्य समकक्ष प्रकरण में पेंशन योग्य सेवा तिथि निर्धारण करने के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प० 3(1) कृषि-3/2020 दिनांक 10.12.2021 के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F. 270/AU/ Estt./Gr-II/95/3090 dated 26.04.1995 के अनुसार श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व० श्री मोतीराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं उक्त आदेश में वर्णित अन्य कार्मिकों के नाम के आगे अंकित तिथि को नियमित नियुक्ति तिथि मानी जावें। {कार्यवाही : वित्त नियंत्रक व कुलसचिव}

स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1453	**अतिरिक्त कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक प० 1(75)/ स्वाकेराकृवि/नियुक्ति/2022/1405 दिनांक 23.03.2022 के साथ विश्वविद्यालय के लेखाधिकारी, सहायक कुलसचिव, सहायक अभियन्ता (सिविल), कोच, फार्म मैनेजर/तकनीकी सहायक (कृषि), प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड़-द्वितीय, आशुलिपिक (अंग्रेजी) एवं वाहन चालक के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 02/2022 दिनांक 23.03.2022 का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लेखाधिकारी, सहायक कुलसचिव, सहायक अभियन्ता (सिविल), कोच, फार्म मैनेजर/तकनीकी सहायक (कृषि), प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड़-द्वितीय, आशुलिपिक (अंग्रेजी) एवं वाहन चालक के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 02/2022 दिनांक 23.03.2022 पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि विज्ञापन निरस्त करते हुए आगामी बैठक में रोस्टर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए एवं राज्य सरकार से रोस्टर अनुमोदन के पश्चात् विज्ञापन जारी किया जावें। {कार्यवाही : कुलसचिव/संयोजक रोस्टर समिति}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1454	**अतिरिक्त कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक प० 1(76)/ स्वाकेराकृवि/नियुक्ति/2022/1409 दिनांक 26.03.2022 के साथ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, सहायक आचार्यो, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (पुस्तकालय विज्ञान), सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं उप कुलसचिव के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 03/2022 दिनांक 26.03.2022 का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, सहायक आचार्यो, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (पुस्तकालय विज्ञान), सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं उप कुलसचिव के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 03/2022 दिनांक 26.03.2022 पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि विज्ञापन निरस्त करते हुए आगामी बैठक में रोस्टर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए एवं राज्य सरकार से रोस्टर अनुमोदन के पश्चात् विज्ञापन जारी किया जावें। {कार्यवाही : कुलसचिव/संयोजक रोस्टर समिति}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1455	**अतिरिक्त कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक प० 1(76)/ स्वाकेराकृवि/नियुक्ति/2022/1414 दिनांक 28.03.2022 के साथ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता एवं निदेशक के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 04/2022 दिनांक 28.03.2022 का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा अधिष्ठाता एवं निदेशक के पदों की भर्ती हेतु जारी किए गये विज्ञापन संख्या 04/2022 दिनांक 28.03.2022 पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि विज्ञापन निरस्त करते हुए आगामी बैठक में रोस्टर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए एवं राज्य सरकार से रोस्टर अनुमोदन के पश्चात् विज्ञापन जारी किया जावें। {कार्यवाही : कुलसचिव/संयोजक रोस्टर समिति}

स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1456	**अतिरिक्त कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक प० 4(158)/ स्वाकेराकृवि/नियुक्ति/2022/1424 दिनांक 16.04.2022 के साथ प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विभिन्न अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया/मानदण्ड, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना की सूचना का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक प० 4(158)/ स्वाकेराकृवि/नियुक्ति/2022/1417 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया/मानदण्ड, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना निर्धारित करने हेतु गठित समिति की अनुशंषा का अनुमोदन किया गया। {कार्यवाही : कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1457	**वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प० 4(1-आर)/स्वाकेराकृवि/सी/2022/183 दिनांक 27.05.2022 व आदेश क्रमांक प० 4(1-आर)/स्वाकेराकृवि/सी/2022/188 दिनांक 27.05.2022 की पुष्टि करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प० 4(1-आर)/स्वाकेराकृवि/सी/2022/183 दिनांक 27.05.2022 व आदेश क्रमांक प० 4(1-आर)/स्वाकेराकृवि/सी/2022/188 दिनांक 27.05.2022 का अवलोकन कर पुष्टि की गई। {कार्यवाही : वित्त नियंत्रक}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1458	**विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) अधिनियम-2020 के द्वारा किये गये संशोधन के उपरान्त विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम की धारा 29 के तहत् जारी अनुसूची (विश्वविद्यालय के परिनियम) में अंकित परिनियम 1(1) से 1(12) तक में कुलपति की नियुक्ति, त्याग पत्र, वेतन, छुट्टी, भत्ते व सुविधा संबंधी तथा परिनियम 1(13) में कुलपति की शक्तियां संबंधी प्रावधान को निरसन करवाये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) अधिनियम-2020 के द्वारा किये गये संशोधन के उपरान्त विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम की धारा 29 के तहत् जारी अनुसूची (विश्वविद्यालय के परिनियम) में अंकित परिनियम 1(1) से 1(12) तक में कुलपति की नियुक्ति, त्याग पत्र, वेतन, छुट्टी, भत्ते व सुविधा संबंधी तथा परिनियम 1(13) में कुलपति की शक्तियां संबंधी प्रावधान को निरसन करवाए जाने की कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई। {कार्यवाही : कुलसचिव}

स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1459	**प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त परिपत्र क्रमांक प० 17(4) कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा राज्य के समस्त निगम/ बोर्ड/ उपक्रम/ विश्वविद्यालय/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों को अंगीकार (Adopt) करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त परिपत्र क्रमांक प० 17(4) कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा राज्य के समस्त निगम/ बोर्ड/ उपक्रम/ विश्वविद्यालय/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों को विश्वविद्यालय में अंगीकार (Adopt) कर नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर मानव शक्ति लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई। {कार्यवाही : कुलसचिव}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1460	**विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालयों से लिये जा रहे निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क में अभिवृद्धि किए जाने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालयों से लिये जा रहे निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क में 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान की गई साथ ही उक्त अभिवृद्धि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी। {कार्यवाही : कुलसचिव}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1461	**विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी की समीक्षा के संबंध में।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु वर्तमान में विद्यमान शुल्क में 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि पूर्व के भाँति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। {कार्यवाही : कुलसचिव}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1462	**58वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.01.2023 को आयोजित 58वीं विद्या परिषद् बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्न के साथ किया जाता है:- **1. SKRAU/AC-58/2023-1/426(2)** **Implementation of recommendation of NEP-2020 for direct entry to Ph.D. for the students who qualify four year Under-Graduate Programme with a grade threshold.** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्रेड सीमा के साथ स्नातक स्तर के चार वार्षीय कार्यक्रम की अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सीधे ही विद्यावाचस्पति में प्रवेश दिये जाने के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय पारित किया गया। {कार्यवाही : अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष (कृषि)}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1463	**विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का अनुमोदन किया गया। {कार्यवाही : निदेशक, पी०एम०ई०}

स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1464	**विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना की पुष्टि करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना का अवलोकन कर पुष्टि की गई।
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1465	**माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा बैच जयपुर में लम्बित प्रकरणों में प्रार्थना पत्र दायर करने पर डिक्टेशन एवं टंकण चार्ज, फोटो स्टेट चार्जेज, शपथ पत्र प्रमाणीकरण आदि के भुगतान हेतु विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण), राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प० 12(2) राज/वाद/19 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार भुगतान करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा बैच जयपुर में लम्बित प्रकरणों में प्रार्थना पत्र दायर करने पर डिक्टेशन एवं टंकण चार्ज, फोटो स्टेट चार्जेज, शपथ पत्र प्रमाणीकरण आदि के भुगतान हेतु विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण), राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प० 12(2) राज/वाद/19 दिनांक 26.02.2019 के क्रम में प्रस्ताव अनुसार भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। {कार्यवाही : कुलसचिव}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1466	**श्री संजय शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कृषि महाविद्यालय, चांदगोठी-चूरू के दिनांक 27.12.2021 से 26.07.2022 तक कुल 212 दिनों के उपभोग किये गये अवकाश को अवैतनिक अवकाश/असाधारण अवकाश में स्वीकृत करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त श्री संजय शर्मा, लिपिक ग्रेड़-द्वितीय, कृषि महाविद्यालय, चांदगोठी-चूरू के दिनांक 27.12.2021 से 26.07.2022 तक कुल 212 दिनों के उपभोग किये गये अवकाश को अवैतनिक/असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही उक्त अवधि का न तो कोई भुगतान किया जाएगा तथा न ही पेंशन संबंधित अन्य किसी परिलाभ के लिए गणना योग्य मानी जाएगी। {कार्यवाही : कुलसचिव}
स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1467	**सेवा नियमों में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने से भूतपूर्व कार्मिक स्व० श्री सुरेश कुमार मेहरा, लिपिक ग्रेड़-द्वितीय के 17 वर्षीय (जन्म दिनांक 18.11.2005) पुत्र मंयक मेहरा को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु पात्र घोषित करने हेतु न्यूनतम आयु (18 वर्ष) के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा सेवा नियमों में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने से भूतपूर्व कार्मिक स्व० श्री सुरेश कुमार मेहरा, लिपिक ग्रेड़-द्वितीय के 17 वर्षीय (जन्म दिनांक 18.11.2005) पुत्र मंयक मेहरा को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प० 3(1) कृषि-3/2020 दिनांक 02.11.2022 के प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार पात्र घोषित करने हेतु न्यूनतम आयु (18 वर्ष) के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। {कार्यवाही : कुलसचिव}

स्वाकेराकृवि/बोम-110/ 2023-1/1468	**अन्य प्रकरण कुलपति की अनुमति से विचार किया जायेगा ।** 1. शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प० 3(9) कृषि-3/2023 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा कृषि महाविद्यालय, मंडावा जिला झूंझुनू का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी कृषि महाविद्यालय, मंडावा करने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रास्ताव। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किये जाने वाले कृषि महाविद्यालय, मण्डावा-झूंझुनू का नामकरण श्री रामनारायण चौधरी कृषि महाविद्यालय, मण्डावा-झूंझुनू किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। {कार्यवाही : कुलसचिव} 2. डॉ० पी०के० दशौरा पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं डॉ० जी०एन० परिहार, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य द्वारा पेंशन रूपान्तरण की राशि का भुगतान करने हेतु प्रकरण सदन के समक्ष रखा। जिस पर माननीय प्रन्बध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त यह पारित किया कि जिन पेंशनभोगी की पेंशन रूपान्तरण के आदेश प्रसारित विश्वविद्यालय द्वारा कर दिये गये है तथा विश्वविद्यालय में फण्ड की कमी के कारण उनको भुगतान नही हुआ, परन्तु पेंशनभोगियों के मासिक पेंशन में से रूपान्तरण राशि की कटौती कर ली गई, जो कि उचित प्रतीत नही होती है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा उन पेंशनभोगियों को बकाया पेंशन रूपान्तरण राशि का भुगतान करने की कार्यवाही की जावें साथ ही समस्त राज्य वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति विश्वविद्यालय में उत्पन्न पेंशन समस्या के निस्तारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संयुक्त रूप से निवेदन करें। {कार्यवाही : वित्त नियंत्रक}

धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(सुनीता चौधरी)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

(अरूण कुमार)
कुलपति एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल